2026 का विधेयक संख्यांक 150

[दि टेक्सेशन एंड अदर लाज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिंदी पाठ]

कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और आय-कर अधिनियम, 2025 तथा वित्त अधिनियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त हुआ माना जाएगा ।

अध्याय 2

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन

2007 के अधिनियम सं. 51 का संशोधन।

2. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10क में "आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 269धप के अधीन विहित इलैक्ट्रानिक संदाय के ढंगों" शब्दों और अंकों के स्थान पर "संदाय के एक या अधिक इलैक्ट्रानिक रीति से जैसाकि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे, और यह राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2007 का 51

1961 का 43

अध्याय 3

आय-कर अधिनियम, 2025 में संशोधन

अनुसूची 1 के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

3. आय-कर अधिनियम, 2025(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

2025 का 30

अनुसूची 1

[धारा 9(12) देखिए]

भारत में कतिपय गतिविधियों का कारबार संबंधित गठित न करने की शर्तें

1. (1) धारा 9(12) में निर्दिष्ट पात्र निवेश निधि भारत के बाहर स्थापित या निगमित या पंजीकृत एक निधि होगी, जो अपने सदस्यों से उनके लाभ के लिए निवेश करने के लिए निधि एकत्र करती है, और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:—

(क) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है;

(ख) निधि है—

(i) किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी जिसके साथ धारा 159(1) या (2) में निर्दिष्ट करार किया गया है; या

(ii) किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थापित या निगमित या पंजीकृत किया गया है जैसा कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे;

(ग) भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सीधे निधि में कुल भागीदारी या निवेश, कर वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को समग्र निधि के 5% से अधिक नहीं है, और—

(i) इस प्रकार की कुल भागीदारी या निधि में निवेश की गणना के प्रयोजनों के लिए, निधि के प्रचालन के पहले तीन वर्षों के दौरान पात्र निधि प्रबंधक द्वारा किया गया पच्चीस करोड़ रुपये तक के किसी भी अंशदान पर विचार नहीं किया जाएगा; या

(ii) जहां उक्त कुल भागीदारी या निधि में निवेश कर वर्ष के यथास्थिति, 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को 5% से अधिक है, इस खंड में उल्लिखित शर्त को संतुष्ट माना जाएगा, यदि यह ऐसे कर वर्ष के 1 अप्रैल

या 1 अक्टूबर के भीतर संतुष्ट है;

(घ) निधि भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कारबार का संचालन या प्रबंधन नहीं करेगी; और

(ङ) निधि की ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होता है जो पात्र निधि प्रबंधक द्वारा उसकी ओर से की गई गतिविधियों के अतिरिक्त किसी कारबार संबंध का गठन करती है।

(2) धारा 9(12) में निर्दिष्ट पात्र निवेश निधि के संबंध में पात्र निधि प्रबंधक कोई भी व्यक्ति होगा जो निधि प्रबंधन की गतिविधि में लगा हुआ है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:—

(क) व्यक्ति पात्र निवेश निधि का कर्मचारी या ऐसी निधि का संबद्ध व्यक्ति नहीं है;

(ख) व्यक्ति निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निधि प्रबंधक या निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत है;

(ग) व्यक्ति निधि प्रबंधक के रूप में अपने कारबार के सामान्य क्रम में कार्य कर रहा है; और

(घ) व्यक्ति अपने संबंधित व्यक्तियों के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पात्र निवेश निधि को निधि प्रबंधक के माध्यम से निधि द्वारा किए गए संव्यवहार से प्राप्त या उत्पन्न लाभ का 20% से अधिक का हकदार नहीं होगा।

(3) प्रत्येक पात्र निवेश निधि, किसी कर वर्ष में अपनी गतिविधियों के संबंध में, कर वर्ष के अंत से नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी,—

(क) विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित प्ररूप में एक कथन जिसमें इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति से संबंधित जानकारी शामिल है; और

(ख) ऐसी अन्य सुसंगत जानकारी या दस्तावेज प्रदान करें, जैसा विहित किया जाए ।

(4) इस अनुसूची के उपबंध ऐसे दिशा-निर्देशों और ऐसे रीति के अनुसार लागू होंगे जैसा कि इस संबंध में बोर्ड विहित करे ।

2. इस अनुसूची में, अभिव्यक्तियाँ—

(क) "संबंधित व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 184(5) में उसे नियत किया गया है;

(ख) "समग्र" से किसी विशेष तारीख को पात्र निवेश निधि द्वारा निवेश के प्रयोजन से जुटाई गई कुल रकम अभिप्रेत है;

(ग) "विनिर्दिष्ट विनियम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013; या

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020; या

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का

15) के अधीन बनाए गए ऐसे अन्य विनियम, जो इस संबंध में अधिसूचित किए जाएं ।

अनुसूची 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की अनुसूची 4 की सारणी में,—

(क) धारा 13क के स्तंभ (घ) में,—

(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) संविदा निर्माता प्रतिफलके लिए विदेशी कंपनी की ओर से विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माल का उत्पादन करता है"; और

(ii) खंड (ङ) में, "2030-2031" अंकों के स्थान पर, "2040-2041" अंक रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 13ग में, स्तंभ (घ) के, खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 13ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

क	ख	ग	घ
"13घ	सरकारी प्रतिभूति में कोई ब्याज, और ऐसे सरकारी प्रतिभूति के विक्रय, विनिमय या अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ	कोई विदेशी संस्थागत निवेशक	ऐसी छूट ऐसी सूचना जो ऐसे प्ररूप और रीति में होगी जैसा विहित किया जाए को देने के अधीन होगी ।
13ङ	सरकारी प्रतिभूति में कोई ब्याज, और ऐसे सरकारी प्रतिभूति के विक्रय, विनिमय या अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ	अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन के लिए बैंक	ऐसी छूट ऐसी सूचना जो ऐसे प्ररूप और रीति में होगी जैसा विहित किया जाए को देने के अधीन होगी ।

(घ) क्रम संख्या 13ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा जो 1 अक्टूबर, 2026 से प्रवृत्त होगी, अर्थात्:—

क	ख	ग	घ
"13च	कच्चे हीरे के विक्रय पर कोई आय	एक विदेशी कंपनी- (क) कच्चे हीरे के खनन के कारबार में लगे हुए ; या (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कंपनी का	(क) कच्चे हीरे का विक्रय धारा 9(9)(ग)(ii)(ग) में निर्दिष्ट किसी अधिसूचित विशेष जोन में की जाती है। (ख) ऐसी विदेशी कंपनी ऐसी जानकारी को ऐसे

		का साइटहोल्डर होना ;या (ग) कच्चे हीरे के विक्रय से संबंधित ब्रोकर, संचयकर्ता या निविदा और नीलामी इकाई होना	प्ररूप और रीति से बनाए रखती है और प्रस्तुत करती है जैसा विहित किया जाए;और (ग) ऐसी छूट 31 मार्च, 2041 को समाप्त होने वाले वर्ष तक उपलब्ध होगी ।";
13छ.	किसी सीमाशुल्क बंधक क्षेत्र के भांडागार मे घटकों के भंडारण के कारण प्राप्त होने वाली या उत्पन्न होने वाली कोई भी आय स्थित	कोई विदेशी कंपनी, जिसमें सीमाशुल्क बंधक क्षेत्र के भांडागार मे घटकों के भंडारण रखती है, जिससे उन्हें एक विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माल के विनिर्माण के लिए संविदा विनिर्माता को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके ।	(क) ऐसी छूट किसी विदेशी कंपनी घटकों के विक्रय पर उपलब्ध होगी; (ख) ऐसा संविदा विनिर्माता किसी विदेशी कंपनी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक माल का उत्पादन करता है; (ग) ऐसी छूट, ऐसे प्ररूप और रीति से सूचना प्रस्तुत करने के अधीन होगी जो विहित की जाए; और (घ) ऐसी छूट 31 मार्च, 2041 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक उपलब्ध रहेगी।

(ङ) सारणी के नीचे दिए गए टिप्पण 2 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'टिप्पण 2क: क्रम संख्यांक 13क के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माल" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) मोबाइल फोन; या

(ख) लैपटॉप, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट; या

(ग) सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएसएफ); या

(घ) खंड (क) से (ग) में उल्लिखित तैयार माल के उप-समूह; या

(ङ) खंड (क) से (ग) में उल्लिखित तैयार माल से संबंधित श्रवण और पहनने योग्य वस्तुएं और सहायक उपकरण।';

(च) सारणी के नीचे दिए गए टिप्पण 3 में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित

खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(ग) "विनिर्दिष्ट डेटा केंद्र" से ऐसे डेटा केंद्र अभिप्रेत है जो—

(i) जिसका संचालन किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वामित्व या पट्टे के माध्यम से किया जाता है; और

(ii) ऐसी अन्य शर्तों का समाधान करता हो जो विहित की जाए।’;

(छ) सारणी के नीचे दिए गए टिप्पण 3 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘टिप्पण 4: क्रम संख्यांक 13घ और 13ङ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतरराष्ट्रीय समझौता बैंक" से अंतरराष्ट्रीय समझौते के लिए बैंक अभिप्रेत है, जिसे हेग सम्मेलन में 1930 में स्थापित किया गया और जिसका मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड में है;

(ख) "विदेशी संस्थागत निवेशक" का वही अर्थ होगा जो इसका धारा 210(6)(क) में है;

(ग) "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो इसका सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2(च) में है।’।

(ज) इस प्रकार अंत:स्थापित किए गए टिप्पण 4 के पश्चात, 1 अक्टूबर, 2026 से निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘टिप्पण 5: क्रम संख्यांक 13च के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "कच्चा हीरा" से कोई भी ऐसा हीरा अभिप्रेत है जो खोदे गए है या केवल आरी से काटा गया है, विखंडित किया गया है या खुरदरा किया गया है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7102 10, 7102 21, या 7102 31 के अंतर्गत आता है और किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ है।

टिप्पण 6: क्रम संख्यांक 13छ के प्रयोजन के लिए,—

(क) "संविदा विनिर्माता" से कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है जो सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी की ओर से विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माल का उत्पादन करती है;

(ख) "सीमाशुल्क बंधक क्षेत्र" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 में यथा निर्दिष्ट भांडागार अभिप्रेत है; और

(ग) "विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माल" का वही अर्थ होगा जो इसके टिप्पण 2क में है।’।

अनुसूची 5 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की अनुसूची 5 में, सारणी में, क्रम संख्यांक 5 पर, स्तंभ घ में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

अध्याय 4

वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन

2026 का अधिनियम सं0 4 का संशोधन।

6. वित्त अधिनियम, 2026 की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (4) में खंड (ख) में सारणी में क्रम संख्यांक 9 और उससे

संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

क	ख	ग	घ
"9	200 या 201	अनुसूची 5 [टिप्पण 2] में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन के अतिरिक्त प्रत्येक घरेलू कंपनी।	10%।
9क	200 या 201	अनुसूची 5 [टिप्पण 2] में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन होने के नाते प्रत्येक घरेलू कंपनी।	25%।";

(ख) उपधारा (12) के खंड (ख) में सारणी में क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

क	ख	ग	घ
"9	200 या 201	अनुसूची 5 [टिप्पण 2] में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन के अतिरिक्त प्रत्येक घरेलू कंपनी।	10%।
9क	200 या 201	अनुसूची 5 [टिप्पण 2] में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन होने के नाते प्रत्येक घरेलू कंपनी।	25%।";

अध्याय 5

प्रकीर्ण

2026 का अध्यादेश सं. 2

निरसन और व्यावृत्ति।

7. (1) आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

आय-कर अधिनियम, 2025 (उक्त अधिनियम) आय-कर सबंधी कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू हुआ।

2. हाल के महीनों में, बदलते भू-राजनैतिक घटनाक्रमों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए संबंधित व्यवधानों के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में काफी अनिश्चितता आई है। अतः, बाहरी आर्थिक झटकों के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए कुछ तत्काल कराधान उपायों को अपनाने की आवश्यक उपन्न हुई है, जिसके लिए व्यापक जनहित में उक्त अधिनियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन तत्काल आधार पर किए जाने आवश्यक है।

3. चूंकि ससद् सत्र चालू नहीं थी और ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद थीं जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए राष्ट्रपति ने सविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 जून, 2026 को आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को प्रख्यापित किया।

4 इस अध्यादेश को बाहरी आर्थिक झटकों के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानो में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से प्रख्यापित किया गया था। अधिनियम, 2026 के लागू होने के बाद हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर किए गए नीतिगत मूल्यांकन से यह सकेत मिलता है कि यद्यपि अध्यादेश के माध्यम से प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य अभी भी प्रासंगिक है, फिर भी इस उद्देश्य को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कराधान उपायों की आवश्यकता है। इसके अलावा चल रहे वैश्विक घटनाक्रमों और समय पर और सुसंगत कार्रवाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इन उपायों को वर्तमान विधेयक में ही शामिल करना उचित समझा जाता है।

5. संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (2) के उपखंड (क) के अनुसार आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को संसद् के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है, और तदनुसार, संसद् में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि व्यापार करने में सुगमता और कर संबंधी निश्चितता प्रदान करने के लिए, उक्त विधेयक के भाग के रूप में कुछ अन्य संशोधन भी प्रस्तावित है।

6. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास है।

नई दिल्ली;
31 जुलाई, 2026

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को प्रतिस्थापित करने के लिए और आय-कर अधिनियम, 2025 तथा वित्त अधिनियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए है, जिसका प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के माध्यम से राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है, तथा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है, जिसका प्रशासन वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाता है। अतः, इस विधेयक के अधिनियमन पर कोई अतिरिक्त व्यय परिकल्पित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों के अधीन, अन्य बातों के साथ, बोर्ड को उसमें विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 4 में आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 4 में क्र.सं. 13घ, 13ङ, 13च और 13छ के रूप में चार मदों को अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है।

क्र.सं. 13घ और 13ङ, सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज आय पर कर छूट तथा विदेशी संस्थागत निवेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के हाथों में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, विनिमय या हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर कर छूट का उपबंध करते हैं। संशोधित अनुसूची 4 की सारणी के क्र.सं. 13घ एवं 13ङ के समक्ष दिए गए स्तंभ घ में बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वह नियमों के माध्यम से प्ररूप और रीति निर्धारित करे जिसके द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक को ऐसी छूट का दावा करने हेतु सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

क्र.सं. 13च के अधीन, हीरे के खनन के कारबार में लगी विदेशी कंपनी या ऐसी विदेशी कंपनी जो नाइटहोल्डर, ब्रोकर, एग्रीगेटर या निविदा एवं नीलामी इकाई के रूप में कार्य करती है, द्वारा कच्चे हीरों की बिक्री से होने वाली आय पर 31 मार्च, 2041 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए कर छूट का उपबंध है। संशोधित अनुसूची 4 में क्र.सं. 13च के सामने सारणी के स्तंभ घ बोर्ड को सशक्त करता है कि वह नियमों के माध्यम से उस प्ररूप और रीति का उपबंध करे जिसके अनुसार ऐसी विदेशी कंपनी को इस छूट का दावा करने के लिए जानकारी रखनी और प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, क्र.सं. 13छ, सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक गोदाम में घटकों के भंडारण से उपर्जित या उत्पन्न होने वाली आय पर कर छूट का उपबंध करता है, जो एक विदेशी कंपनी के हाथों में है जो निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मालों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले संविदा निर्माता को प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क बांड क्षेत्र में एक गोदाम में घटकों को संग्रहीत करती है। 31 मार्च, 2041 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए मान्य है, क्र.सं. 13छ के सामने संशोधित अनुसूची 4 की सारणी का स्तंभ घ बोर्ड को नियमों द्वारा उस प्ररूप और रीति को प्रदान करने का अधिकार देता है जिसमें ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा ऐसी छूट का दावा करने के लिए जानकारी प्रस्तुत की जानी है।

आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के स्थान पर लाए जा रहे विधेयक में निहित संशोधनों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2026, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अनुसार आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को संसद् के अधिनियम से प्रतिस्थापित करना है, में अन्य बातों के साथ-साथ आय-कर अधिनियम, 2025, वित्त अधिनियम, 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन किए जाने का प्रस्तावित किया गया है, यथा:—

(क) विधेयक के खंड 2 में, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10क में संशोधन करके आय-कर अधिनियम के प्रावधान का संदर्भ हटाना और यह भी प्रावधान करना कि कोई भी बैंक या प्रणाली प्रदाता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, का उपयोग करके भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा;

(ख) विधेयक के खंड 3 में, आय-कर अधिनियम, 2025 में, अनुसूची 1 में संशोधन करके पात्र निवेश निधि और पात्र निधि प्रबंधक के लिए शर्तों को युक्तिसंगत बनाना ताकि निधि प्रबंधन गतिविधि को बढ़ावा दिया जा सके और कर संबंधी निश्चितता प्रदान की जा सके;

(ग) विधेयक के खंड 4 में, आय-कर अधिनियम, 2025 में, अनुसूची IV में, तालिका में—

(i) क्रमांक 13क में संशोधन करके कर वर्ष 2040-41 तक छूट की अवधि बढ़ाना, निश्चितता सुनिश्चित करना और कुछ परिणामी संशोधन करना;

(ii) क्रमांक 13ग में संशोधन करके विदेशी कंपनी और निर्दिष्ट डेटा सेंटर की अधिसूचना की शर्त हटाना और व्यापार सुगमता के उद्देश्य से भारतीय कंपनी द्वारा संचालित निर्दिष्ट डेटा सेंटर के स्वामित्व के पट्टे मॉडल की अनुमति देना और कुछ परिणामी संशोधन करना;

(iii) क्रमांक 13च और संबंधित खंडों को जोड़ना ताकि हीरा खनन के व्यवसाय में लगी विदेशी कंपनी या ऐसी कंपनी जो साइटहोल्डर, ब्रोकर, एग्रीगेटर या निविदा एवं नीलामी इकाई के रूप में कार्य करती है, को 31 मार्च, 2041 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक, पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान करना और कुछ परिणामी संशोधन करना;

(iv) किसी विदेशी कंपनी को, जो किसी सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में गोदाम में घटकों का संग्रह करती है, निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए अनुबंध निर्माता को प्रदान करने हेतु, 31 मार्च, 2041 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान करने हेतु नया क्रमांक 13छ तथा संबंधित खंड सम्मिलित करना और कुछ परिणामी

परिणामी संशोधन करना;

(घ) आय-कर अधिनियम, 2025 के खंड 5 में, अनुसूची 5 में, क्रमांक 5 पर, स्तंभ घ में, खंड (ख) को हटाना, ताकि इकाई धारक द्वारा प्राप्त लाभांश पर छूट प्रदान की जा सके, भले ही व्यावसायिक ट्रस्ट के विशेष प्रयोजन वाहन ने धारा 200 के तहत नई कर व्यवस्था में जाने का विकल्प चुना हो;

(ङ) वित्त अधिनियम, 2026 के खंड 6 में, धारा 3 में, उपधारा (4) (ख) और (12) (ख) में संशोधन करना, ताकि विशेष प्रयोजन वाहन पर नई कर व्यवस्था में किए जाने पर पंद्रह प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार लगाया जा सके।

उपाबंध

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 51) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

बैंक इत्यादि द्वारा संदाय के इलैक्ट्रानिक ढंगों के उपयोग के लिए प्रभार अधिरोपित नहीं किया जाना।

1961 का 43

10क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई बैंक या प्रणाली प्रदाता, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 269धप के अधीन विहित इलैक्ट्रानिक संदाय के ढंगों का उपयोग करके कोई संदाय करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई प्रभार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, अधिरोपित नहीं करेगा ।

*   *   *   *   *   *

आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 30) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

अनुसूची 1

[धारा 9(12) देखिए]

पात्र विनिधान निधि या पात्र निधि प्रबंधक होने या धारा 9(12) में विहित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने की शर्तें।

1. (1) धारा 9 की उपधारा (12) में निर्दिष्ट पात्र विनिधान निधि से भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो अपने सदस्यों के फायदे के लिए निधियां उसका विनिधान करने हेतु अपने सदस्यों से संगृहीत करती है और निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है :

(क) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है;

(ख) निधि,—

(i) ऐसी किसी देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की निवासी है जिसके साथ धारा 159 की उपधारा (1) या धारा 156 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट करार किया गया है; या

(ii) जिसे इस निमित्त यथाअधिसूचित किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(ग) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निधि में कुल भागीदारी या निवेश कर वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को निधि के कुल योग का 5% से अधिक नहीं है, बशर्ते कि –

(i) निधि में ऐसी कुल भागीदारी या निवेश की गणना के प्रयोजनों के लिए, पात्र निधि प्रबंधक द्वारा निधि के संचालन के प्रथम तीन वर्षों के दौरान किया गया कोई अंशदान, जो पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक न हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा;

(ii) जहां कर वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को निधि में पूर्वोक्त कुल भागीदारी या निवेश 5% से अधिक है, वहां इस खंड में उल्लिखित शर्त, यदि

वह ऐसे कर वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर के चार महीने के भीतर पूरी हो जाती है, तो उसे पूरी हुई समझी जाएगी ।

(घ) निधि और उसके क्रियाकलाप, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में जहां ऐसी निधि वह स्थापित या निगमित किया जाता है या कोई निवासी है, लागू विनिधानकर्ता संरक्षण विनियमों के अध्यधीन हैं;

(ङ) निधि में कम से कम पच्चीस सदस्य हैं जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संबद्ध व्यक्ति नहीं हैं;

(च) संबद्ध व्यक्तियों सहित निधि का कोई भी सदस्य, निधि में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दस प्रतिशत से अधिक कोई सहभागिता हित नहीं रखेगा;

(छ) निधि में दस या उससे कम सदस्यों का उनके संबद्ध व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संकलित सहभागिता हित पचास प्रतिशत से कम होगा;

(ज) निधि किसी सत्ता में के अपने समग्र अंश के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का विनिधान नहीं करेगी;

(झ) निधि अपनी सहयुक्त सत्ता में कोई विनिधान नहीं करेगी;

(ञ) समग्र निधि का मासिक औसत निम्नलिखित के अध्यधीन एक अरब रुपए से कम नहीं होगा :

(i) यदि निधि कर वर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंतिम दिन से बारह मास के अंत में एक अरब रुपए से कम की नहीं होगी; और

(ii) यह खंड किसी ऐसी निधि को लागू नहीं होगा जिसका परिसमापन कर वर्ष में हो गया था;

(ट) निधि, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: भारत में कोई कारबार नहीं करेगी या उसे नियंत्रित या उसका प्रबंधन नहीं करेगी;

(ठ) निधि न तो किसी ऐसे क्रियाकलाप में जिससे भारत में कारबारी संपर्क गठित होता हो, लगी हुई है और न ही उसमें, उसकी ओर से कार्य करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके, उसकी ओर से पात्र निधि प्रबंधक द्वारा किए गए क्रियाकलापों से भिन्न, क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित होता है;

(ड) निधि द्वारा पात्र निधि प्रबंधक को उसके द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप की बाबत संदत्त पारिश्रमिक ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संगणित रकम से कम नहीं है ।

(2) पैराग्राफ (1) (ङ), (च) और (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें—

(क) विदेशी राज्य की सरकार या सेंट्रल बैंक द्वारा गठित किसी विनिधान निधि या किसी प्रभुत्वसंपन्न निधि;या

(ख) ऐसी अन्य निधि को, जो केन्द्रीय सरकार शर्तों, यदि कोई हों, के

अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होगी ।

(3) किसी पात्र विनिधान निधि के संबंध में धारा 9(12) में निर्दिष्ट,पात्र निधि प्रबंधक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निधि प्रबंधन के क्रियाकलाप में लगा हुआ है और निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:—

(क) व्यक्ति, पात्र विनिधान निधि या निधि के संबद्ध व्यक्ति का कोई कर्मचारी नहीं है;

(ख) व्यक्ति यथाविनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निधि प्रबंधक या विनिधान सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) व्यक्ति अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में निधि प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है;

(घ) व्यक्ति अपने से संबद्ध व्यक्तियों के साथ, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निधि प्रबंधक के माध्यम से निधि द्वारा किए गए संव्यवहारों से पात्र विनिधान को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले लाभों के बीस प्रतिशत से अधिक का हकदार नहीं होगा ।

(4) प्रत्येक पात्र विनिधान निधि, किसी कर वर्ष में अपने क्रियाकलापों के संबंध में कर वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में एक विवरण, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी जिसमें इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी और वह ऐसी अन्य सुसंगत सूचना या दस्तावेज भी जो विहित की जाए, उपलब्ध कराएगी ।

(5) इस अनुसूची के उपबंध ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार और ऐसी रीति से लागू किए जाएंगे जो बोर्ड इस निमित् विहित करे ।

(6) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि उपपैरा (1) पैरा (1) (ग) को छोड़कर या (3) में निर्दिष्ट शर्तों में से कोई एक या अधिक शर्तें लागू नहीं होंगी या ऐसे संशोधनों के साथ लागू होंगी जैसा कि पात्र निवेश निधि और उसके पात्र निधि प्रबंधक के मामले में निर्दिष्ट किया गया है, यदि

(i) ऐसा पात्र निधि प्रबंधक अंतरराष्ट्रीय वित्तीयसेवा केंद्र में अवस्थित है; और

(ii) जिसने 31 मार्च, 2030 को या उसके पूर्व अपना काम आरंभ किया है ।

(2) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सहयुक्त" से ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसमें विनिधान निधि का कोई निदेशक या न्यासी या भागीदार या सदस्य या निधि प्रबंधक या ऐसी निधि के निधि प्रबंधक का कोई निदेशक या न्यासी या भागीदार या सदस्य, व्यष्टिक रूप से या सामूहिक रूप से ऐसा शेयर या हित धारण करता है जो उसकी, यथास्थिति,, शेयर पूंजी या हित के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है;

(ख) "संबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 184(5) में उसका है;

(ग) "समग्रअंश" से पात्र विनिधान निधि द्वारा विनिधान के प्रयोजन के

लिए किसी विशिष्ट तारीख को जुटाई गई निधियों की कुल रकम अभिप्रेत है :

(घ) "सत्ता" से ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसमें कोई पात्र विनिधान निधि कोई विनिधान करती है;

(ङ) निधि में कम से कम पच्चीस सदस्य हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध व्यक्ति नहीं हैं;

* * * * * *

अनुसूची 4

[धारा 11 देखिए]

पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय

नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ग) में उल्लिखित किसी पात्र व्यक्ति की कर वर्ष की कुल आय की गणना करने में, उक्त सारणी के स्तंभ (ख) में उल्लिखित आय को, उक्त सारणी के स्तंभ (घ) में उल्लिखित शर्तों के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा, और स्तंभ (ख) से (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में दिया गया है ।

* * * * * *

सारणी

क्र. सं.	कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय	पात्र व्यक्ति	शर्तें
क	ख	ग	घ
*	* *	* *	*
13क.	भारत में निवासी कंपनी के रूप में किसी संविदा विनिर्माता को पूंजी माल, उपस्कर या उपकरण उपलब्ध कराए जाने के मद्दे उदभूत होने वाली कोई आय ।	कोई विदेशी कंपनी, जो इलैक्ट्रानिक विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने हेतु किसी संविदा विनिर्माता को पूंजी माल, उपस्कर या उपकरण उपलब्ध करा रही है ।	(क) ऐसे पूंजी मालों, उपस्कर या उपकरण का स्वामित्व विदेशी कंपनी के पास है ; (ख) ऐसे पूंजी माल, उपस्कर या उपकरण, संविदा विनिर्माता के नियंत्रण और निदेशन के अधीन हैं ; (ग) संविदा विनिर्माता किसी सीमाशुल्कबद्ध क्षेत्र में अवस्थित है,

			अर्थात् सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट कोई भांडागार; (घ) संविदा विनिर्माता प्रतिफल के लिए विदेशी कंपनी के निमित्त इलैक्ट्रानिक माल का उत्पादन करता है; (ङ) ऐसी छूट कर वर्ष 2030-2031 तक उपलब्ध होगी ।
*	* *	* *	*
13ग.	किसी विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र से डाटा केंद्र सेवाएं उपाप्त करने के माध्यम से भारत में उदभूत या प्रोदभूत हुई या भारत में उदभूत या प्रोदभूत समझी गई कोई आय ।	विदेशी कंपनी ।	(क) ऐसी विदेशी कंपनी इस निमित्त कैंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है ; (ख) ऐसी विदेशी कंपनी कोई भौतिक अवसंरचना या विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र के किन्हीं संसाधनों का स्वामित्व नहीं रखती या प्रचालन नहीं करती ; (ग) ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में अवस्थित उपयोक्ताओं को सभी विक्रय पुन: विक्रेता इकाई के माध्यम से किए जाते हैं, जो

			जाते हैं, जो एक भारतीय कंपनी है ; (घ) ऐसी विदेशी कंपनी ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसी सूचना रखती है और प्रस्तुत करती है, जो विहित की जाए ; (ङ) ऐसी छूट 31 मार्च, 2047 को समाप्त होने वाली कर वर्ष तक उपलब्ध रहेगी ।

* * * * * *

टिप्पण 3 : क्र.सं. 13ग के प्रयोजनों के लिए,—

* * * * * *

(ग) "विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र" से डाटा केंद्र अभिप्रेत है, जो,—

(i) अनुमोदित स्कीम के अधीन स्थापित किया जाता है और केंद्रीय सरकार के इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाता है ; और

(ii) किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वामित्व और प्रचालित किया जाता है ।

* * * * * *

अनुसूची 5

[धारा 11 देखिए]

विनिधान निधि, कारबार न्यास और उनके यूनिट धारकों सहित कतिपय पात्र व्यक्तियों की कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय

नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (ग) में उल्लिखित किसी पात्र व्यक्ति की कर वर्ष की कुल आय की गणना करने में, उक्त सारणी के स्तंभ (ख) में उल्लिखित आय को, उक्त सारणी के स्तंभ (घ) में उल्लिखित शर्तों के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा, और स्तंभ (ख) से (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त सारणी के नीचे टिप्पणों में दिया गया है ।

* * * * * *

सारणी

क्र.सं.	कुल आय में शामिल न	पात्र व्यक्ति	शर्तें

	की जाने वाली आय		
क	ख	ग	घ
*	*	*	*
5.	धारा 223 में निर्दिष्ट कोई वितरित आय,	किसी कारबार न्यास का कोई भी यूनिट धारक।	आय का वह अनुपात जो समान प्रकृति का है, के लिए छूट अनुज्ञात नही की जाएगी— (क) कारबार न्यास द्वारा विशेष प्रयोजन यान से प्राप्त या प्राप्य ब्याज; या (ख) कारबार न्यास द्वारा विशेष प्रयोजन यान से प्राप्त या प्राप्य लाभांश (ऐसी दशा में जहां विशेष प्रयोजन यान ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है); या (ग) कारबार न्यास, जो एक भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में है, की आय किराए पर देने या पट्टे पर देने या किसी भू-संपदा आस्ति को किराए पर देने के माध्यम से जो सीधे ऐसे कारबार न्यास के स्वामित्व में है ।

* * * * * *

वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * * *

3. (1) * * * * *

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए,—

2025 के अधिनियम सं. 30 के अधीन आय-कर ।

* * * * * *

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट धारा के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में, संगणित आय-कर की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे आय-कर की दर या दरों से, संगणित अधिभार से, निम्नलिखित दशा के सिवाय, बढ़ा दिया जाएगा,—

सारणी

क्र.सं.	धारा	व्यक्ति	अधिभार की दर
क	ख	ग	घ
* *	*	* *	*
9.	200 या 201	प्रत्येक देशी कंपनी ।	10%
* *	*	* *	*

(12) उपधारा (10) और उपधारा (11) के प्रयोजनों के लिए,—

* * * * * *

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट धारा के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में, संगणित "अग्रिम कर" की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे "अग्रिम कर" की दर या दरों से, संगणित अधिभार से, निम्नलिखित दशा के सिवाय, बढ़ा दिया जाएगा,—

सारणी

क्र.सं.	धारा	व्यक्ति	अधिभार की दर
क	ख	ग	घ
* *	*	* *	*
9.	200 या 201	प्रत्येक देशी कंपनी ।	10%
* *	*	* *	*